कुलसचिव
Registrar

महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ,
वाराणसी–2
दूरभाष –0542 222689
Mahatma Gandhi Kashi Vidyapith
Varanasi-2
Phone- 0542 222689

पत्रांक : कु0स0–सम्बद्धता/ /319 /2010, दिनांक 28 जून, 2010

सेवा में,

प्राचार्य/प्रबंधक,
समस्त राजकीय/अनुदानित/स्ववित्तपोषित महाविद्यालय,
महात्मा गाँधी काशी विद्यापीठ,
वाराणसी।

विषय : सत्र 2010–11 में प्रवेश प्रक्रिया के सम्बन्ध में।

महोदय,

माननीय कुलपति जी के आदेशानुसार आपको यह अवगत कराया जा रहा है कि सत्र 2010–11 हेतु महाविद्यालय के निर्धारित पाठ्यक्रम में छात्रों का प्रवेश सत्र 2010–11 हेतु शासन से सम्बद्धता प्राप्त होने की स्थिति में स्वीकृत सीट (निर्धारित प्रवेश स्थान) के सापेक्ष किया जाना सुनिश्चित करें तथा शासनादेश रा0 उच्च शिक्षा अनुभाग–2 के पत्रांक सं0 1181/सत्तर–2–2010–3 (58)/79 दिनांक 11 जून 2010 द्वारा आरक्षण हेतु निर्धारित दिशा निर्देशों का पालन सुनिश्चित करें। किसी भी दशा में किसी महाविद्यालय द्वारा विना सम्बद्धता के प्रवेश नहीं लिया जाएगा, तथा ऐसे कृत्य के लिए महाविद्यालय स्वयं जिम्मेदार होगा। उक्त के अतिरिक्त महाविद्यालय की वेबसाइट, नेशनल बिल्डिंग कोड के मानक के अनुरूप भवन का निर्माण एवं सम्बंधित अग्निशमन अधिकारी से एन0 ओ0सी0 की प्राप्ति के सम्बन्ध में उ0 प्र0 शासन द्वारा बार–बार पृच्छा की जा रही है लेकिन कतिपय महाविद्यालयों द्वारा वांछित सूचना दी गयी है। महाविद्यालयों से अपेक्षा है कि इन संसाधनों की उपलब्धता सुनिश्चित करते हुए वांछित अभिलेख/ प्रमाण सम्बद्धता कार्यालय को उपलब्ध करा दें, साथ ही पाठ्यक्रम के संचालन हेतु अध्यापकों की उपलब्धता सुनिश्चित कर लें (चयन की कार्यवाही कराते हुए अनुमोदन अवश्य प्राप्त कर लें)। जिन महाविद्यालयों की प्रबंध समिति कालातीत हो चुकी है अथवा होने वाली है उन महाविद्यालयों को विश्वविद्यालय से पर्यवेक्षक प्राप्त कर चुनाव सम्पन्न कराते हुए प्रबंध समिति का अनुमोदन प्राप्त कर लेने की अपेक्षा की जाती है।

उपर्युक्त का क्रियान्वयन 15 जुलाई 2010 तक कराना सुनिश्चित करें अन्यथा की स्थिति में महाविद्यालय में प्रवेश प्रतिबन्धित रहेगा।

भवदीय,

(आई0पी0झा)
कुलसचिव

प्रतिलिपि सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु :–

1. माननीय कुलपति जी सूचनार्थ।
2. वित्त अधिकारी, महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ, वाराणसी।
3. परीक्षा नियंत्रक,महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ, वाराणसी को इस आशय के साथ कि परीक्षा आवेदन पत्र निर्गत/जमा कराने के समय सम्बधित दिशा निर्देशों का पालन सुनिश्चित कराते हुए महाविद्यालय से वांछित अभिलेख प्राप्त कर ही परीक्षा आवेदन पत्र निर्गत/जमा कराना सुनिश्चित करें।
4. **प्रभारी, कम्प्यूटर सेण्टर, महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ, वाराणसी,** को इस आशय के साथ कि उपर्युक्त सूचना विश्वविद्यालय की वेबसाईट पर उपलब्ध कराने का कष्ट करें।

28.06.10
(आई0पी0झा)
कुलसचिव